


— ::आदेश:: —

श्री महेश कुमार शर्मा एवं श्री पदम सिंह परमार, अधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, धौलपुर के विरुद्ध, खाद्य सुरक्षा अधिकारी के कार्यों के निर्वहन के दौरान प्राप्त गम्भीर शिकायत को दृष्टिगत रखते हुये, शिकायत पर की जाने वाली जाँच के अन्तिम निर्णय के अध्याधीन श्री महेश कुमार शर्मा एवं श्री पदम सिंह परमार को प्रदत्त खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियाँ एतद् द्वारा तुरन्त प्रभाव से अग्रिम आदेशों तक रद्द की जाती है।



आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) एवं
निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,
राजस्थान जयपुर।

क्रमांक: एफएसएसए/2017/1148

दिनांक:- 6/11/17

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. अति० निदेशक (ग्रा०स्वा०)/संयुक्त निदेशक (ग्रा०स्वा०), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जयपुर।
5. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन जयपुर, एवं भरतपुर।
6. अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, धौलपुर को उनके पत्र क्रमांक 3231 दिनांक 03.10.2017 के क्रम में।
7. सम्बंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को पालनार्थ।
8. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि सम्बंधित को ईमेल कर विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करे।
9. आदेश/रक्षित पत्रावली।


आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) एवं
निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,
राजस्थान जयपुर।